संख्या- 25/2016/एस-3-498/दस-2016-ब(4)/2016

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0,
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 29,दिसम्बर 2016**

विषय:-संस्थान के नये भूखण्ड संख्या 24/4 इन्दिरानगर, लखनऊ के परिसर के पश्चिम दिशा की ओर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कार्या0 व्यय/219/2016/800 दिनांक 15-09-2016 कार्या0 व्यय/219/2016/957 दिनांक 16-11-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के नये भूखण्ड संख्या-24/4, इन्दिरानगर, लखनऊ के परिसर के पश्चिम दिशा की ओर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु रू0 10.27 लाख आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण लागत की अर्थात रू0 10.27 लाख (रूपये दस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध कराने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित न किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य अथवा मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार है यह निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या-25/2016/एस-3-498(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-2
6- अनुभागीय बजट पत्रावली।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।